विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : शहरी विकास विभाग

प्रश्न संख्या अतारांकित : 2083

उत्तर की तिथि : 10.03.2022

विषय : कार्यालय भवन निर्माण

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विक्रमादित्य सिंह (शिमला ग्रामीण)

संबंधित मंत्री : शहरी विकास मंत्री।

	प्रश्न	**उत्तर**
(क)	यह सत्य है कि नगर पंचायत सुन्नी के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 20 लाख रूपये की धनराशि आबंटित की गई थी; और	**(क) व (ख)** सूचना सभा पटल एर रख दी है।
(ख)	यदि हां, तो सरकार कब तक इसका निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार रखती है व इसका भवन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा; ब्यौरा दें ?	

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 2083, जो श्री विक्रमादित्य सिंह(शिमला ग्रामीण) द्वारा “कार्यालय भवन निर्माण ” बारे पूछा गया है, का उत्तर:-

(क) जी हाँ, नगर पंचायत सुन्नी के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹20 लाख की धनराशि दिनांक 02.02.2016 को नगर पंचायत सुन्नी को आवंटित की गई थी।

(ख) नगर पंचायत सुन्नी द्वारा खसरा नंबर 247, 248, 249, 250, 251 व 252 पर 11 बिश्वा भूमि में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना है। यह भूमि राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश के नाम पर है। इस भूमि को नगर पंचायत सुन्नी के नाम पर स्थानांतरण करने के लिए दिनांक **06.05.2016** को उप-मंडलाधिकारी तथा दिनांक 12.11.2021 को जिलाधीश को पत्र भेजा गया था। जिसके पश्चात् अभी तक भूमि को नगर पंचायत सुन्नी के नाम स्थानांतरित नहीं किया गया है। जैसे ही भूमि नगर पंचायत सुन्नी के नाम स्थानांतरित हो जाएगी, कार्यालय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।